भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक के
विद्यार्थियों के लिए

जुलाई 2025

श्रावण 1947

PD 1H BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2025

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

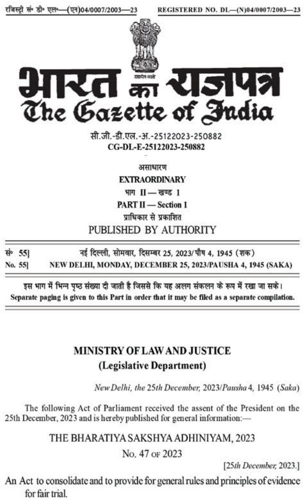

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250882
CG-DL-E-25122023-250882

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 55] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 55] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/*Pausha* 4, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023

No. 47 of 2023

[25*th December,* 2023.]

An Act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial.

माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक के
विद्यार्थियों के लिए

विद्यया ऽ मृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

सीखने के प्रतिफल

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे—

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बी.एस.ए.) की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताना।
- इसके महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण करना।
- वर्तमान समय में संघर्ष और हिंसा से निपटने में इसके महत्व का उल्लेख करते हुए हितधारकों के लिए जागरूकता संदेश तैयार करना।
- बी.एस.ए. पर कक्षा में चर्चा आयोजित करना।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अपने पूरे इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरी है, जो विभिन्न शासकों और कानूनी परंपराओं से प्रभावित है। सबसे उल्लेखनीय संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जिसने आधुनिक भारतीय आपराधिक कानून का आधार बनाया।

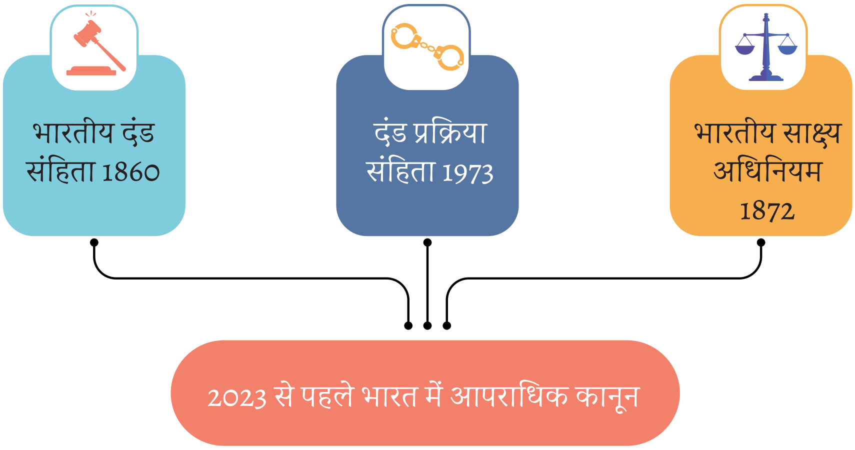

अंग्रेजों ने भारत के आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया, जिससे एक संरचित कानूनी प्रणाली बनी, जो हाल के कुछ संशोधनों के साथ काफी हद तक कायम है।

भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.)	दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.)
• 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रथम विधि आयोग द्वारा 1860 में इसका मसौदा तैयार किया गया। • यह 1 जनवरी 1862 को प्रभावी हुआ। • आई.पी.सी. भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता के रूप में कार्य करती है, जो आपराधिक अपराधों की परिभाषा, दंड और प्रकृति निर्धारित करती है।	• यह 1973 में अधिनियमित और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ। • सी-आर.पी.सी. आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें अपराधों की जाँच, साक्ष्य एकत्रित करना, संदिग्धों की गिरफ्तारी और मुकदमों को चलाना सम्मिलित है।	• इसे ब्रिटिश राज के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1872 में पारित किया गया। • यह भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को शासित करने वाले नियमों का एक व्यापक समुच्चय प्रदान करता है।

संसद ने दिसंबर 2023 में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए—

- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023— भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में सुधार करता है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023— दंड प्रक्रिया संहिता (सी-आर.पी.सी.) को प्रतिस्थापित करता है।
- भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम 2023— भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.) में संशोधन करता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह निर्धारित करता है कि साक्ष्य के माध्यम से तथ्यों को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम न्यायाधीशों को काम की चीजें निकाल लेने (‘गेहूँ को भूसे से अलग करने’) में सहायता करता है और न्यायालय की कार्यवाही के दौरान तथ्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन-सा साक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है, प्रमाण का भार कैसे पूरा किया जाना चाहिए आदि ऐसे मामले हैं, जो साक्ष्य अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। साक्ष्य कानून की आधारशिला रखने वाले प्रमुख सिद्धांत हैं—

1. साक्ष्य को मामले तक ही सीमित रखना चाहिए।
2. सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
3. सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए।

कानून की दृष्टि से साक्ष्य से हमारा क्या अभिप्राय है?

कानून में साक्ष्य किसी उस भौतिक वस्तु या तथ्य के दावे को संदर्भित करता है, जिसे जाँच के अंतर्गत किसी मामले की सच्चाई के निर्धारण के लिए सक्षम न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय सत्य पर अपने निर्णय आधारित करने के लिए ऐसे साक्ष्यों को सुनने और उन पर विचार के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं।

साक्ष्य के कानून के अंतर्गत तथ्यों के प्रमाण और प्रस्तुति पर प्रक्रियात्मक विनियमन आता है, जिसमें गवाह का बयान, दस्तावेज, भौतिक वस्तुएँ या विदेशी कानून सम्मिलित हैं। ये नियम अनुभव और स्वीकार्य और पर्याप्त प्रमाण का गठन करने वाली विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं के माध्यम से विकसित हुए हैं।

न्यायालय में, साक्ष्य विभिन्न रूप ले सकता है, जिनमें से प्रत्येक कानूनी कार्यवाही में तथ्यों को स्थापित करने या खंडन करने का कार्य करता है। साक्ष्य के उदाहरणों में सम्मिलित हैं—

1. **गवाह (साक्षी) की गवाही**— एक व्यक्ति, जिसने किसी घटना को देखा है, वह प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करता है।
2. **अनुबंध**— पक्षों के बीच लिखित समझौते।
3. **ईमेल और पत्र**— पत्राचार, जो समझौतों, विवादों या अन्य प्रासंगिक जानकारी का संकेत दे सकता है।
4. **आधिकारिक रिकॉर्ड**— जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह का प्रमाण, लाइसेंस या अन्य सरकारी दस्तावेज।
5. **हथियार**— अपराध करने में इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें, चाकू या अन्य वस्तुएँ।
6. **कपड़े**— किसी घटना में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा पहनी जाने वाली वस्तुएँ, जिन पर खून या बारूद के अवशेष जैसे प्रमाण के निशान हो सकते हैं।
7. **डी.एन.ए. साक्ष्य**— जैविक सामग्री, जो किसी व्यक्ति को अपराध स्थल या पीड़ित से जोड़ सकती है।
8. **चित्र और वीडियो**— अपराध स्थल, घटनाओं या प्रासंगिक स्थानों की वीडियो रिकॉर्डिंग।

9. **आरेख (डायग्राम) और मॉडल**— चाक्षुष सहायक सामग्री (दृश्यिक सहायक सामग्री), जो यह दर्शाने में सहायता करती हैं कि कोई घटना कैसे हुई या अपराध स्थल की स्थिति (लेआउट) कैसी थी।
10. **फिंगरप्रिंट (अंगुली के निशान)**— व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए अनूठे पैटर्न, जो उन्हें किसी स्थान या वस्तु से जोड़ सकते हैं।
11. **कंप्यूटर फाइलें**— कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से प्राप्त डाटा।
12. **निगरानी फुटेज**— सुरक्षा कैमरों से वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो प्रासंगिक गतिविधियों को पकड़ती (कैप्चर करती) हैं।

प्रत्येक प्रकार के साक्ष्य की स्वीकार्यता को शासित करने वाले विशिष्ट नियम हैं और न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत साक्ष्य प्रासंगिक, विश्वसनीय हो और अनावश्यक रूप से पक्षपातपूर्ण न हो।

गतिविधि 1

ऊपर साक्ष्य के कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। पुस्तकों, फिल्मों और ओ.टी.टी. सीरीज से याद करें, जहाँ आपने इन साक्ष्यों का इस्तेमाल देखा है। कहानी या सीरीज के नाम और साक्ष्य का एक विवरण बनाएँ। आप कोई अन्य साक्ष्य भी दर्ज कर सकते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है।

गतिविधि 2

एक इंकपैड लें और स्याही में डुबाए गए अपने हाथ का प्रिंट लें। अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए ऐसा करें।

अब, अपने परिवार के सदस्यों से अलग-अलग ठोस वस्तुओं को छूने के लिए कहें। इससे उन वस्तुओं पर उनके अंगुलियों के निशान पड़ेंगे।

एक वृहत्प्रदर्शक शीशे (मैग्निफाइंग ग्लास) की सहायता से अपने द्वारा लिए गए प्रिंट का ठोस वस्तुओं पर मौजूद प्रिंट से मिलान करने का प्रयत्न करें।

न्यायालय को साक्ष्य की आवश्यकता क्यों है?

मान लीजिए कि आपके विद्यालय का कोई विद्यार्थी रिपोर्ट करता है कि गणित की कक्षा संचालन के दौरान उसके बैग से उसका महंगा कैलकुलेटर चोरी हो गया था और यह चोरी का पहला मामला नहीं था। विद्यालय प्रशासन चोरी की जाँच करने का निर्णय लेता है। आपको क्या लगता है कि विद्यालय प्रशासन अपराधी का पता कैसे लगा सकता है और यह सिद्ध कर सकता है कि वह चोर है?

इसका उत्तर सरल है, अधिकारियों को कक्षा में चोरी के तथ्य को स्थापित करने के लिए कुछ प्रमाण की आवश्यकता है। वे प्रमाण कैसे खोजेंगे?

- विद्यालय में कक्षा और हॉल के रास्तों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं। प्रशासन चोरी की संभावित घटना के समय की फुटेज की समीक्षा करता है।
- फुटेज में अंतराल के दौरान कक्षा में कई विद्यार्थी घूमते हुए दिखाई देते हैं। एक विद्यार्थी पीड़ित के बैग के पास जाता हुआ और उसमें हाथ डालता हुआ दिखाई देता है। इस फुटेज को चोरी के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में सहेजा जाता है।

इसलिए न्यायालय के समक्ष अपराध सिद्ध करने के लिए, अधिवक्ताओं (एडवोकेट यानी वकील) को दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए साक्ष्य (प्रमाण) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कई मूलभूत कारणों से कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं—

1. **क्या हुआ यह प्रमाणित करना**— साक्ष्य वास्तविक घटनाओं को स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिससे मामले के तथ्य स्पष्ट होते हैं।
2. **झूठे दावों को रोकना**— साक्ष्य सुनिश्चित करता है कि केवल तथ्यात्मक और सत्यापन योग्य सूचना पर ही विचार किया जाए, जिससे झूठे दावों के स्वीकार किए जाने की संभावना कम हो जाती है।
3. **अधिकारों का संरक्षण**— साक्ष्य आधारित कार्यवाही निर्णय को सत्यापित सूचना के आधार पर किए जाने को सुनिश्चित करते हुए हुए सभी पक्षों के अधिकारों का संरक्षण करती है।
4. **वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना**— न्यायाधीश पक्षपात और व्यक्तिपरक निर्णयों से बचते हुए निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए साक्ष्य पर विश्वास करते हैं।
5. **कानूनी आवश्यकताएँ**— साक्ष्य के नियमों का पालन यह सुनिश्चित करता है कि किसी मामले को सिद्ध करने के लिए कानूनी आवश्यकताएँ पूरी हों। विभिन्न प्रकार के मामलों में प्रमाण के अलग-अलग मानक होते हैं, जैसे कि सिविल मामलों में 'साक्ष्य की बहुतायत' और आपराधिक मामलों में 'उचित संदेह से परे'।
6. **कानूनी प्रणाली में विश्वास**— जब निर्णय ठोस साक्ष्य पर आधारित होते हैं, तो इससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है।
7. **पारदर्शिता**— साक्ष्य निर्णयों के लिए एक पारदर्शी आधार प्रदान करते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि निष्कर्ष कैसे निकाले गए।

साक्ष्य अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य साक्ष्य की स्वीकार्यता में गलती को रोकना और व्यवहार का अधिक सही और एकसमान कार्य-नियम प्रस्तुत करना है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के महत्वपूर्ण प्रावधानों और इसके बाद हुए परिवर्तनों पर निम्नलिखित अनुभाग में चर्चा की गई है।

बी.एस.ए., 2023 में नया क्या है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कुल 170 धाराएँ थीं, जिनमें से—

- 23 धाराएँ बदली गई हैं;
- एक नई धारा जोड़ी गई है;
- 5 धाराएँ समाप्त कर दी गई हैं।

बी.एस.ए., 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.), 1872 के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है, जिनमें सम्मिलित हैं—

1. **स्वीकार्य साक्ष्य**— कानूनी कार्यवाही में केवल स्वीकार्य साक्ष्य ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
   - स्वीकार्य साक्ष्य का वर्गीकरण—
     - मुद्दे में तथ्य— वे तथ्य, जो कानूनी कार्यवाही में दावा किए गए या अस्वीकार किए गए किसी अधिकार, दायित्व या अक्षमता की विद्यमानता, प्रकृति या सीमा को निर्धारित करते हैं।
     - प्रासंगिक तथ्य— वे तथ्य, जो किसी दिए गए मामले से संबंधित हैं।
2. **साक्ष्य के प्रकार**— आई.ई.ए. दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है—
   - दस्तावेजी साक्ष्य— वे दस्तावेज, जिन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
   - मौखिक साक्ष्य— साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत मौखिक गवाही।
3. **सिद्ध तथ्य**— किसी तथ्य को तब सिद्ध माना जाता है, जब प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह मानता है कि यह या तो—
   - विद्यमान है, या
   - विद्यमान होने की इतनी संभावना है कि एक विवेकशील व्यक्ति को इस तरह कार्य करना चाहिए, जैसे कि यह मामले की परिस्थितियों में विद्यमान है।
4. **पुलिस द्वारा स्वीकारोक्तियाँ**—
   - पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है।
   - पुलिस हिरासत में की गई स्वीकारोक्ति तब तक अस्वीकार्य है, जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न की गई हो।
   - यद्यपि, हिरासत में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य खोजा जाता है, तो वह सूचना स्वीकार की जा सकती है, यदि वह खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।

बी.एस.ए., 2023 में सम्मिलित किए गए मुख्य परिवर्तन

बी.एस.ए., 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.), 1872 में कई अपडेट्स सम्मिलित हैं— विशेष रूप से दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के क्षेत्रों में, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और संयुक्त विचारण की स्वीकार्यता—

1. **दस्तावेजी साक्ष्य**
   - परिभाषा— आई.ई.ए. के अंतर्गत एक दस्तावेज में लेखन, नक्शे और कैरिकेचर सम्मिलित हैं। बी.एस.ए. इस परिभाषा को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित करता है।
   - दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार
     - **प्राथमिक साक्ष्य**— मूल दस्तावेज और उसके हिस्से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स।
     - **द्वितीयक साक्ष्य**— दस्तावेज और मौखिक विवरण, जो मूल की सामग्री को प्रमाणित कर सकते हैं। बी.एस.ए. विस्तारित करने के लिए निम्न को सम्मिलित करता है—
       - मौखिक और लिखित स्वीकारोक्तियाँ।
       - ऐसे व्यक्ति की गवाही, जिसने दस्तावेज की जाँच की है और दस्तावेजों की जाँच करने में निपुण है।

'दस्तावेज' की परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स सम्मिलित हैं। इसमें ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस पर संग्रहित वॉइस-मेल संदेश पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सम्मिलित हैं।

2. **मौखिक साक्ष्य**
   - आई.ई.ए. के तहत, मौखिक साक्ष्य में जाँच के अंतर्गत किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालयों के समक्ष दिए गए बयान सम्मिलित हैं। बी.एस.ए. मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए जाने की अनुमति देता है, जिससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाही देने की अनुमति मिलती है।
3. **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता**
   - दस्तावेजी साक्ष्य में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में विद्यमान सूचना सम्मिलित है, जिसे किसी कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में मुद्रित या संग्रहित किया गया है।

- ○ यह सूचना कंप्यूटरों के संयोजन या विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संग्रहित या संसाधित की गई हो सकती है।

प्राथमिक (इलेक्ट्रॉनिक) साक्ष्य के संबंध में स्पष्टता

- बी.एस.ए. यह संकल्प करता है कि जब किसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को एक साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य स्थान पर प्रेषित, प्रसारित या स्थानांतरित किया जाता है, तो संग्रहित रिकॉर्डिंग्स में से प्रत्येक को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है।
- यह परिवर्तन जाँच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भले ही साइबर अपराधी मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट कर दे, फिर भी साक्ष्य को बिना अपना महत्व खोए अन्य स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ समन्वयन

- धारा 63, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता से संबंधित है, को बेहतर स्पष्टता के लिए 'सेमीकंडक्टर मेमोरी' और 'कोई भी संचार उपकरण' जैसे शब्दों को सम्मिलित करने के लिए अद्यतन किया गया है।
- इन परिवर्धनों के बावजूद, इस प्रावधान का प्रभाव अपरिवर्तित रहता है क्योंकि आई.टी. अधिनियम, 2000 में 'इलेक्ट्रॉनिक रूप' की परिभाषा में पहले से ही 'कंप्यूटर मेमोरी' में उत्पन्न, भेजी, प्राप्त या संग्रहित सूचना सम्मिलित है।

4. **संयुक्त विचारण**
   - ○ संयुक्त विचारण (जॉइंट ट्रायल) से तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों के विचारण से है। आई.ई.ए. के तहत, यदि किसी अभियुक्त द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति संयुक्त विचारण में अन्य अभियुक्तों को प्रभावित करता है, तो इसे दोनों के विरुद्ध स्वीकारोक्ति माना जाएगा।
   - ○ बी.एस.ए. में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि कई व्यक्तियों के विचारण, जहाँ कोई अभियुक्त फरार हो गया है या उसने गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है, को संयुक्त विचारण माना जाएगा।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य भारत में कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाना है ताकि सुनिश्चित हो कि यह समकालीन डिजिटल परिदृश्य में डिजिटल साक्ष्य और साइबर अपराध की जटिलताओं को संभालने के लिए लैस है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की मुख्य बातें

- दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एस.एम.एस., वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य, उपकरणों पर मेल और संदेश भी सम्मिलित होंगे
- केस डायरी, एफ.आई.आर., चार्जशीट और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
- इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी रिकॉर्ड्स के समान ही होगी

निष्कर्ष

भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की परिभाषा और स्वीकार्यता में स्पष्टता लाता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के लिए विशेषज्ञ प्रमाणन और हैश एल्गोरिदम के महत्व पर बल देता है। यद्यपि, यह जोर साइबर प्रयोगशालाओं के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है क्योंकि उनके कार्यभार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एन्क्रिप्शन विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन कानूनों के लागू होने से पहले आवश्यक आधारभूत ढाँचा उपस्थित हो। कुल मिलाकर, ये परिवर्तन डिजिटल युग में उभरती चुनौतियों के समाधान के लिए भारत में आपराधिक कानूनों को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

सोच-विचार के बिंदु	भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह मसौदा 1835 में भारत के गवर्नर-जनरल परिषद को प्रस्तुत किया गया था।
सोच-विचार के बिंदु	12 मार्च 1872 को वायसराय की विधान परिषद के 13 सदस्यों ने अपने विधि सदस्य जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन द्वारा तैयार किए गए भारतीय साक्ष्य विधेयक को अंगीकार करने के प्रस्ताव पर विचार किया।
केस अध्ययन	विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के मामलों के सरलीकृत संस्करण प्रदान करें और उनसे प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के प्रकारों की पहचान करने एवं मामले के परिणाम पर उनके प्रभाव के बारे में पूछें। साक्ष्य की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर चर्चा करें।

रोल प्ले	नकली न्यायालय (मॉक कोर्ट) के परिदृश्य का निर्माण करें, जहाँ विद्यार्थी न्यायाधीश, अधिवक्ता (वकील), गवाह और प्रतिवादी जैसी विभिन्न भूमिकाएँ निभाते हैं। इससे उन्हें यह समझने में सहायता मिलेगी कि न्यायालय में साक्ष्य कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है।
रचनात्मक लेखन	विद्यार्थियों से कानूनी परिदृश्यों को सम्मिलित करते हुए लघु कथाएँ या निबंध लिखने को कहें, जहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे उन्हें अपने ज्ञान को रचनात्मक रूप से प्रयुक्त करने में सहायता मिलती है।

शिक्षार्थियों को जोड़ने के लिए कुछ गतिविधियाँ

1. **मॉक ट्रायल**

गतिविधि— कक्षा में मॉक ट्रायल आयोजित करें, जहाँ विद्यार्थी न्यायाधीश, वकील, गवाह और जूरी सदस्य की भूमिका निभा सकें।

उद्देश्य— विद्यार्थियों को न्यायालय के मामलों में साक्ष्य के अनुप्रयोग को समझने में सहायता करना।

प्रक्रिया

- एक काल्पनिक मामला प्रदान करें।
- विद्यार्थियों को भूमिकाएँ सौंपें।
- साक्ष्य कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें कैसे चुनौती दी जाती है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचारण का संचालन करें।

2. **केस स्टडी पर चर्चा**

गतिविधि— वास्तविक जीवन के मामलों पर चर्चा करें, जहाँ साक्ष्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उद्देश्य— विभिन्न प्रकार के साक्ष्य के महत्व का विश्लेषण करना।

प्रक्रिया

- समाचार या इतिहास से उल्लेखनीय मामले चुनें।
- विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को एक मामला सौंपें।
- प्रत्येक समूह को अपना मामला प्रस्तुत करने और इस बात पर चर्चा करने के लिए कहें कि साक्ष्य का उपयोग कैसे किया गया।

3. **साक्ष्य संग्रह का स्वांग करना**

गतिविधि— एक नकली अपराध स्थल बनाएँ और विद्यार्थियों से साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कहें।

उद्देश्य— विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों और उन्हें एकत्रित करने के तरीकों के बारे में सिखाना।

प्रक्रिया

- कक्षा में एक नकली अपराध स्थल स्थापित करें।
- विद्यार्थियों को दस्ताने, साक्ष्य बैग और टैग प्रदान करें।
- विद्यार्थियों से साक्ष्य का दस्तावेजीकरण और संग्रह करवाएँ।
- एकत्रित गए साक्ष्यों के प्रकारों और उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना जाता है?

(क) मौखिक कथन
(ख) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स
(ग) सुनी-सुनाई बातें
(घ) दस्तावेज

(उत्तर— ग)

2. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर लागू होता है?**
   (क) केवल सिविल मामले
   (ख) केवल आपराधिक मामले
   (ग) सिविल और आपराधिक दोनों मामले
   (घ) इनमें से कोई नहीं

(उत्तर— ग)

3. **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त जानकारी किस प्रकार के साक्ष्य से संबंधित है?**
   (क) मौखिक साक्ष्य
   (ख) दस्तावेजी साक्ष्य
   (ग) डिजिटल साक्ष्य
   (घ) भौतिक साक्ष्य

(उत्तर— घ)

4. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों की धारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?**
   (क) किसी दस्तावेज को तब तक असली माना जाता है, जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न हो जाए।
   (ख) किसी दस्तावेज को तब तक झूठा माना जाता है, जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न हो जाए।
   (ग) कोई भी दस्तावेज हमेशा अस्वीकार्य होता है।
   (घ) इनमें से कोई नहीं

(उत्तर— क)

5. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है?**
   (क) गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रियाओं को परिभाषित करना
   (ख) न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में नियम बनाना
   (ग) मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बनाना
   (घ) अधिवक्ताओं (वकीलों) के आचरण को विनियमित करना

(उत्तर— ख)

6. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना जाता है?**
   (क) दबाव में दिए गए इकबालिया बयान
   (ख) सम्मिलित पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज
   (ग) गवाहों की गवाही
   (घ) ई-मेल जैसे डिजिटल साक्ष्य

(उत्तर— क)

7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है?

(क) किसी दस्तावेज की एक प्रति

(ख) किसी दस्तावेज की सामग्री के बारे में मौखिक गवाही

(ग) मूल दस्तावेज

(घ) दस्तावेज का डिजिटल चित्र

(उत्तर— ग)

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन-सा शब्द ऐसे साक्ष्य को संदर्भित करता है, जो सीधे मुद्दे में तथ्य से संबंधित है?

(क) सुनी-सुनाई बातें

(ख) परिस्थितिजन्य साक्ष्य

(ग) प्रत्यक्ष साक्ष्य

(घ) द्वितीयक साक्ष्य

(उत्तर— ग)

9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दीवानी मामले में प्रमाण प्रस्तुत करने का भार आमतौर पर इस पर होता है—

(क) प्रतिवादी

(ख) वादी

(ग) न्यायाधीश

(घ) गवाह

(उत्तर— ख)

10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, दबाव या जबरदस्ती के अंतर्गत दिया गया इकबालिया बयान—

(क) साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्य

(ख) साक्ष्य के तौर पर अस्वीकार्य

(ग) सशर्त स्वीकार्य

(घ) सदैव अप्रासंगिक

(उत्तर— ख)

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING